

उत्तर प्रदेश शासन,  
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या-2140/71-2-16-एस-9/2016  
लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, सन् 2016) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 5 जून, 2016 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जबसे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2140(1)/71-2-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उ0प्र0।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, इटावा।
7. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी पीडियाट्रिक हास्पिटल एवं पी0जी0 टीचिंग संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
10. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
12. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
13. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 2016) को दिनांक 17 मई, 2016 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1 के खण्ड (क) में प्रकाशित करते हुए, इसकी 500 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, जनपथ स्थित सचिवालय, पंचम तल, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. संसदीय कार्य अनुभाग-1
15. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0 सचिवालय।
16. भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 सचिवालय।
17. विधायी अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव।